

दहेज हत्या में 02 वाछित अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र के कुशल नेतृत्व में थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा दिनांक 22.12.2025 को देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त के घर से मु0अ0स0 267/25 धारा 85, 80(1) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट से संबंधित अभियुक्तगण, 1 राजेश तिवारी पुत्र जयप्रकाश तिवारी, 2 जयप्रकाश तिवारी पुत्र स्व0 लेढ़ई तिवारी निवासीगण रामगढ़ जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

नाम पता अभियुक्त-

1. राजेश तिवारी पुत्र जयप्रकाश तिवारी निवासी रामगढ़ थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
2. स्व0 लेढ़ई तिवारी निवासी रामगढ़ थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 267/25 धारा 85, 80(1) बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट।

गिरफ्तारकर्ता-

1. उ0नि0 रामलोचन सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
2. हे0का0 अमरबहादुर सिंह थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
3. का0 बृजमोहन थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

मिशन शक्ति फेज 05 तहत एण्टीरोमियो टीम द्वारा महिलाएं एवं बच्चियों से छींटाकशी व अश्लील गाने का प्रयोग करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 22.12.2025 को थाना

सरायलखन्सी एन्टीरोमियों टीम द्वारा मिशन शक्ति फेज 05 तहत एन्टीरोमियो चेकिंग के दौरान महिलाएं एवं बच्चियों से छींटाकशी व अश्लील गाने का प्रयोग करने वाला 01 नफर विपिन पुत्र गणेश राम निवासी हलधरपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र करीब 19 वर्ष मोछू मोड़ सरवा भीटी के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 530/25 धारा 296 बीएनएस पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

नाम पत्ता गिरफ्तार अभियुक्त –

1. विपिन पुत्र गणेश राम निवासी हलधरपुर थाना हलधरपुर जनपद मऊ उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तारकर्ता टीम-

1. निरीक्षक अपराध हरेन्द्र सिंह
2. म०उनि० अंशी शुक्ला
3. म०का) ज्योतिमा पाण्डेय
4. म०का० उत्तम मिश्रा

अंजान व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर पडोसी बनकर लाइसेन्स कैंसिल के नाम पर फ्रांड की गयी 20,000/- रु० कुल धनराशि (बीस हजार) रुपये थाना दक्षिण टोला साइबर पुलिस टीम द्वारा वापस कराया गया–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में साइबर अपराध के माध्यम से आंलाइन ठगी गयी धनराशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना दक्षिण टोला साइबर पुलिस टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए अंजान व्यक्ति द्वारा फेसबुक पर पडोसी बनकर लाइसेन्स कैंसिल के नाम पर फ्रांड की गयी कुल धनराशि 20,000 (बीस हजार) रुपये, पीडित आमीर मोआविया पुत्र नफीश निवासी सूरज राय का पूरी थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ। आवेदक के कुल धनराशि 20,000 रुपये की सम्पूर्ण धनराशि अथक प्रयास कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना दक्षिण टोला के अधिकारी/कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरूक रहकर ही साइबर अपराध से बचा जा सकता है।

आपरेशन क्लीन' अभियान के अन्तर्गत थाना कोपागंज पर मुकदमों से सम्बन्धित 02 अदद चार पहिया व 66 अदद दो पहिया वाहनों तथा 01 अदद तीन पहिया वाहनों की नीलामी कराकर कुल ₹302000 /- (तीन लाख दो हजार रुपये) के राजस्व की प्राप्ति की गई-

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी श्री पियूष मोर्डिया के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद मऊ में थानों पर लंबित माल मुकदमाती/लावारिस वाहनों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे “ऑपरेशन क्लीन” अभियान के क्रम में नायब तहसीलदार सदर मऊ श्री शेष मणि, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह, प्रभारी निरीक्षक श्री रवीन्द्र नाथ राय की उपस्थिति में आज दिनांक 22.12.2025 को थाना कोपागंज पर विभिन्न जनपदों से आये कुल 45 रजिस्टर्ड कबाड़ व्यापारियों के समक्ष बोली लगवाकर नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत 02 अदद चार पहिया व 66 अदद दो पहिया वाहन तथा 01 अदद तीन पहिया वाहनों का निस्तारण कराकर जीएसटी सहित कुल ₹ 302000/- (तीन लाख दो हजार रुपये) राजस्व की प्राप्ति की गयी। प्राप्त धनराशि को नियमानुसार राजकोष में जमा किया जायेगा।

ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के क्रम में मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को ₹2500 के अर्थ दण्ड से हुआ दण्डित –

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत मा0 न्यायालय ए सी जे एम/एस डी/एफ टी सी कोर्ट, जनपद मऊ द्वारा दिनांक 22.12.2025 को मु0अ0सं0 012/2019 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना दोहरीघाट जनपद मऊ में दोषसिद्ध अनिल सिंह पुत्र रामचंद्र निवासी शक्करपुर छपरा थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए ₹2500 के अर्थ दण्ड दण्डित किया गया । अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिवस का कारावास से दण्डित किया जायेगा ।